कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर,म.प्र.

क्रमांक/1426/री.ए.डी.एम./2020 इन्दौर, दिनांक 25/05/2020

" आदेश "

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

(बैंक/कियोस्क के संचालन व उपभोक्ताओं को खाते संचालन में छूट संबंधी निर्देश)

पूर्व जारी आदेश क्रमांक कमांक/567–568/रीए0डी0एम0/2020, दिनांक 29.03.2020 के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का समावेश उक्त पूर्व जारी आदेश में किया जाता है :–

पूर्व में जारी आदेशों के माध्यम से समय–समय पर आम जनता की मूलभूत सुविधाओं हेतु आवश्यक छूट निश्चित समयावधि के लिए दी जाती रही है । दिनांक 19/05/2020 को विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई जिससे आमजन को बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध मे व कार्यवाहियों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई थी तद्उपरान्त भी लगातार बैंक के अधिकारियों से समय–समय पर इस संबंध में चर्चा की गई है । उक्त हुई चर्चाओं के बाद वर्तमान परिस्थिति में **मैं मनीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** निम्नानुसार सशर्त बैंक संचालन की अनुमति प्रदान करता हूं :–

:: बैंकों के संबंध में निर्देश ::

1. **केन्द्र/राज्य/पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग/अर्द्धसरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन** का भुगतान सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जावेगा ।
2. सभी बैंकों द्वारा ऐसे खाते जिनमें वेतन आता है, उनकी राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति को किया जावेंगा । संबंधित वेतनधारी व्यक्ति को उसके निवास के समीप की उसी बैंक की शाखा से भी सीबीएस(कोर बैंकिंग सिस्टम) सिस्टम के तहत भुगतान किया जा सकेंगा ।
3. शाखा प्रबंधक स्वविवेक से आवश्यकतानुसार नियमित स्टॉफ को बुला सकेंगे किन्तु सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य शासन निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा । आवश्यक हो तो केश काउंटर की संख्या भी बढ़ाना होगी ताकि अनावश्यक भीड़ न हों ।
4. सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक अपने स्तर से प्रतिदिन 10 ग्राहकों को मैसेज भेजकर बैंकिंग कार्य हेतु बुला सकेंगे । ग्राहक उक्त मैसेज को कर्फ्यु पास के रूप में दिखायेंगे, जिसे पुलिस द्वारा मान्य किया जावेगा । शाखा में प्रवेश करते समय ग्राहक अनिवार्य रूप से मास्क धारण किये होना चाहिये तथा उन्हें सेनेटाईज किया जावेगा व थर्मल गन से चेक किया जावेगा, उसके बाद ही भीतर प्रवेश दिया जावेगा । बैंक में उपस्थित कर्मचारियों एवं ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना आवश्यक होगा, सभी के द्वारा मास्क का उपयोग किया जावेगा ।
5. **ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, मेकेनिक नगर, लोहा मंडी, सीमेंट ट्रेडिंग, न्यू सियागंज स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं इंडस्ट्रियल यूनिट्स से जुड़ी हुई गतिविधियो वाली सभी फर्म्स के बैंक खातों मे व्यावसायिक लेन देन की अनुमति प्रदान की जाती है । इस आदेश द्वारा पूर्व मे पृथक से जारी किए गए आदेशों के अतिरिक्त सामान्य रूप से अनुमति जारी की गयी है । बैंक प्रबन्धक उपरोक्त निर्देश से जुड़ी हुई गतिविधि की फर्म्स को ही खाता संचालन की अनुमति देना सुनिश्चित करे ।**

:: कियोस्क के संबंध में निर्देश ::

1. वर्तमान में एन.आई.सी.टी. के 57, ओसवाल के 18, सी.एस.सी. के 392 तथा पोस्ट आफिस के 92 आइसेक्ट के 4 फिनों बैंक के 37 इस प्रकार कुल 600 कियोस्क कार्यरत् हैं । अभी कियोस्क ऑपरेटर द्वारा अपने निर्धारित स्थल पर ही कियोस्क का संचालन कर सकेंगे । यदि कियोस्क का क्षेत्र परिवर्तन किया जाना हो तो इस हेतु श्री बी.बी.एस. तोमर, अति. जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर, श्री रवीन्द्र जैन, एल.डी.एम. इन्दौर व श्री अतुल पाण्डे, प्रबंधक, ई–गवर्नेन्स, कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर द्वारा स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक होने पर कियोस्क

Scanned with CamScanner

के स्थल में परिवर्तन कर सकेंगे । इस हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित् किया जावेगा । साथ ही ऑपरेट करने के पूर्व एवं पश्चात् सेनेटाईजर का उपयोग किया जावेगा ।

2. एन.आई.सी.टी. के 06 एवं ओसवाल कियोस्क सर्विस प्रोवाईडर के 03 मोबाईल कियोस्क ऑपरेटरों को संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है । इस बाबत् एल.डी.एम. से समन्वय स्थापित कर, मोबाईल कियोस्क का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है । मोबाईल कियोस्क ऑपरेटरों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग सुनिश्चित् किया जावे ।

कन्टेनमेन्ट एरिया में कियोस्क चालू किये जाने की अनुमति नहीं होगी ।

समय–समय पर जारी शासन निर्देशों व स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, सभी आवश्यक चिकित्सीय मापदण्डों का पालन सुनिश्चित् करना अनिवार्य होगा ।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा । उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय–समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेंगी।

यह आदेश दिनांक /05/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

District Magistrate
District Indore(M.P.)

पृ०क्र०1427/री0ए0डी0एम0/2020
इन्दौर, दिनांक /05/2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
5. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
6. अति0 पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातयात, इन्दौर ।
7. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी/एस0डी0ओ0(पी)/नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर
8. लीड बैंक मैनेजर, जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
9. थाना प्रभारी, थाना...जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
10. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाश हेतु अग्रेषित।
11. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।
13. सर्व संबंधित ....

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर

District Magistrate
District Indore(M.P.)

Scanned with CamScanner